"मै0 धरतीधन प्रा.लि. (देवपुरा)" की जन सुनवाई विवरण

दिनांक 21.06.2022 समय 01.30 दोपहर

जनसुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा, श्री ओ.पी. बुनकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर का स्वागत किया गया तथा उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए जनसुनवाई के संबन्ध में नियमो की जानकारी देते हुए कहा को यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 20.05.2022 एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 20.05.2022 को प्रकाशित करवा दी गई थी।

यह जनसुनवाई **"मै0 धरतीधन प्रा.लि. (देवपुरा)"** द्वारा प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना (खनन पट्टा संख्या 14/1991 लीज क्षेत्र 17.83 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 146397 TPA ROM एवं प्रस्तावित सोप स्टोन उत्पादन क्षमता 30000 TPA निकट ग्राम देवपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 300 लाख है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/षिकायत की जावगी चाहे वह लिखित हो या मोखिक हो उसे हम कलमबद्व करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंग क्यों कि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 07.03.2019 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एंव उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिव कुमार लखारा द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ए. रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई. आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक "ब" के अनुसार है।

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः–

क्षेत्रीय अधिकारी श्री शरद सक्सेना ने मेनेजमेंट से सीएसआर के बारे में मेनेजमेंट से जानकारी चाही।

इस पर कम्पनी हेड ने बताया कि सभी ग्रामवासियों को पता है कि कम्पनी का क्षेत्र में क्या योगदान है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन यह बात जरूर है कि कम्पनी की तरफ से उपर के मेनेजमेंट एवं हमारी तरफ से कानूनी तौर पर यह प्रयास रहता है कि पूरी कोशिश रहती है कि कमी की पूर्ति हो। गत दो साल से हम कोरोना से प्रभावित हो गए । कोरोना महामारी से थोडा प्रभावित हो गए, सारा संसार प्रभावित रहा । हम भी प्रभावित हुए उसकी वजह से थोड़ी बहुत कमी रही होगी तो अब ये जो प्रकिया चल रही है, ग्रान्ट होती है तो हम उम्मीद कर रहे है कि हमारे ऑफिसर्स को ओर बेटर और ज्यादा लॉकेलिटी बनाएंगे और उसी अनुपात में जितना हमारे से जो बन सकता है करेंगे ! जो जो कमिटमेंट हमनें किए है किया है वो पूरा करने की कवायद करेंगे एवं इसकी पूरी सूचना आप तक पहुंच जाएगी।

सीएसआर का जहां तक सवाल है वह फिक्स है। स्कूल के प्रति जो हमारा दायित्व है वह फिक्स है जो की कम्पनी सालो से 26 जनवरी – 15 अगस्त एवं अन्य स्कूल का कोई कार्यक्रम होगा तो इसमें कम्पनी की तरफ से पूरा सहयोग रहा है आगे भी रहेगा।

कोई बड़ा काम जैसे रोड़ बनाने का काम कोई बता देता है जो 5.00 करोड से 10.00 करोड़ का है जो हमारी क्षमता से बाहर होता है। जैसा कोरोना काल में हमें जहां जहां जैसे–जैसे निर्देश होते, हम लोग करते है। आगे भविष्य के लिए भी यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अगर देवपुरा खदान चालु हुई और इसी के बाद जो आर्थिक स्थिति ठीक होती है तो करीब करीब सभी बातों की आपूर्ति की जाएगी मै विश्वास दिलाता हूँ। वन टू वन कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि चीज आ चुकी है एजुकेशन का जो भी हो हम करेंगे। जहां तक श्री राकेश भाई का प्रश्न है तो इनकी पूर्ण सन्तुष्टी करवाएंगे।

कुछ ग्रामवासियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखित में दिया प्रति संलग्न है। (परिशिष्ठ "स")

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकार्डिंग सी.डी (परिशिष्ठ "द" में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (परिशिष्ठ "य" में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन)
जिला–उदयपुर

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

संलग्नक:1

मैसर्स धरतीधन प्रा.लि. (देवपुरा), सोप स्टोन माईन्स, (एम.एल.नं. 14/1991, क्षैत्रफल–17.83 हैक्टेयर), प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 146397 TPA ROM एवं प्रस्तावित सोप स्टोन उत्पादन क्षमता 30000 TPA निकट ग्राम–देवपुरा, तहसील–सराडा, जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 21.06.2022 को 01:30 PM बजे मैसर्स धरतीधन प्रा.लि. (देवपुरा), सोप स्टोन माईन्स, तहसील–सराडा, जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण:–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	O. P. Bunkar	ADM, Udaipur	[signature]
2	Sharad Saksena	RO RPCB Udaipur	[signature]
3	Prem chand Lohar	T.D.R. SARADA	[signature]
4	Dr Aditi Solanki	S.O RPCB Uda	[signature]
5	Mohan Paliwal	ASDCPL	[signature]
6	B.S. Yadav	ASDCPL	[signature]
7	ललित कुमार	देवपुरा	[signature]
8	रमेशचन्द्र जी	"	[signature]
9	उदयलाल	देवपुरा	[signature]
10	माधुलाल	"	[signature]
11	नाथुलाल	" "	[signature]
12	देवेन्द्र कुमार	" "	[signature]
13	कालुलाल वैद	" "	[signature]
14	राजकुमार मारु	देवपुरा	[signature]
15	प्रतापसिंह	"	[signature]
16	शान्तीलाल जैन	" "	[signature]
17	रामा	सरसिया	[signature]
18	देवीलाल	देवपुरा	[signature]

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
19	खेमराज लोहार	देवपुरा	खेमराज
20	जीवत राम मीणा	कातिला	[illegible]
21	प्रेम सिंह	कातला	प्रेम सिंह
22	पेमा जी	कातला	पेमा
23	रामलाल मीणा	देवपुरा	रामलाल
24	[illegible]	देवपुरा	[illegible]
	Vimal Sharma	A.E. DE	[illegible]
	केशव	अमरपुरा	केशव
	लक्ष्मण	खाखाहेर	लक्ष्मण
	चोखा	देवपुरा	
	देवराज	देवपुरा	[illegible]
	Krishnajeet Jain	Deepura	Krishnajeet
	Devendra Singh Ranawat	Devpura	Devendra Singh
	शंकर अमरा	नतारा	शंकर
	अर्जुनलाल	नतारा	अर्जुन
	सवजी	देवपुरा	सवजी
	धर्मा	नतारा	धर्मा
	नानजी	नतारा	
	लक्ष्मण	नतारा	लक्ष्मण
	पेमा	कातीला	पेमा
	कवरा	[illegible]	
	Dr. Neeraj Srivastava	EGCIPL - Udaipur	[illegible]
	Shyam Lal Sukhwal	EGCIPL - Udaipur	[illegible]
	Shiv Kumar [illegible]	EGCIPL, Udaipur	[illegible]

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
	Prem Prakash Kumar	Devpura	[illegible]
	Zakir Hussain	EGCIPL	[illegible]
	Neelima Nair	EGCIPL	[illegible]
	Mayank Bhadsa	〃	[illegible]

सेवा मे
श्री मान जिला कलेक्टर महोदय
उदयपुर (राजस्थान)

RO
आ॰ 21/6/2022

विषय - गोलछा माईन्स की वजह से धूल मिट्टी उड़ने से ग्रामवासी को राहत दिलाने बाबत

महोदयजी

सविनय निवेदन है ग्राम खाखड़ा वार्ड नं. 9 मे गोलछा माईन्स की वजह से हमारे गाँव मे आगनवाड़ी छत, विद्यालय मार्ग खराब हो गया है अत: श्रीमान से निवेदन है कि इस समस्या का समाधान करावें। से भारी साधन चलने से रोड की खस्ता हालत है व आने जाने मे राहगीर व ग्रामवासीयों को दिक्कत होती है अत: रोड का कार्य दुरस्त कराने का श्रम करवावें गोलछा माइन्स के मलबा से खेती बाड़ी मे नुकसान होता है राहत दिलाने का श्रम करवावें। हमारे गाँव मे माइन्स होने से हमारे को रोजगार दिया जावें।

नर्वदा
हिरा

(चन्दा देवी)
सरपंच
ग्राम पंचायत–पाडला
पं.स. जयसमन्द, जि. उदयपुर (राज.)

गणेश लाल
सोहन
रेखा
पन्नालाल
[signature]
गोपीलाल
कालु [illegible]
नारण
गामा
सुरज
Sundaal
रामलाल
गोपाल
रविना
आशा
श्यामलाल
[illegible]
मीरा
उदमा
मनिष [illegible]
सुनीता
केसरी
लक्ष्मी
लीला
[illegible]
लक्ष्मी
मनिषा
शान्ती लाल
नाथी
निरमा
शान्ता
हकरी
सुन्दरी
अरली
धर्मी
हकरी
गीता
सुगना

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदयजी
जिला- उदयपुर - राज.

Received
Housing Public
hearing
[signature]
21.6.2022

विषय:- ग्राम देवपुरा मे बिलानाम जमीन की लीज करवा कर वृक्षारोपण हेतु जमीन ली थी जो आज व्यवसायिक उपयोग मे ली जारही है जो पुन सरकारी जमीन घोषित की जाई

महोदयजी

उपरोक्त विषय अन्तर्गत नम्र निवेदन है कि पूर्व मे सरकारी शिविर के माध्यम से श्री शान्तिलाल s/ हीराचन्द जैन
श्री सुरेन्द्र कुमार गोलछा
मे वृक्षारोपण हेतु जमीन लीज करवाकर यह जमीन व्यवसायिक उपयोग मे ली जारही है अत यह लीज खत्म कर वापस सरकारी जमीन घोषित करवाने का कष्ट करावे

दिनांक- 21-06-2022

Rakesh
विनीत
राकेश कुमार मीणा
उप सरपंच देवपुरा